(499)

(145)

समक्ष राजस्व मंण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प रीवा म.प्र. ।

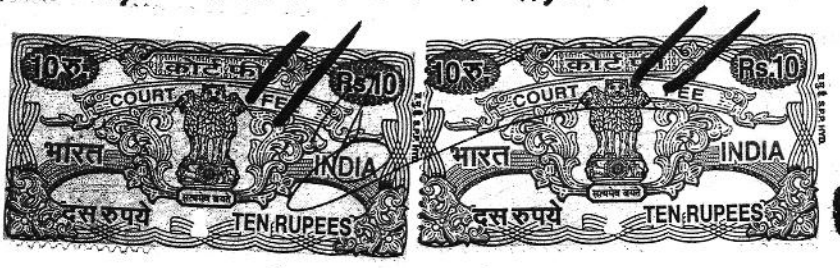

अवधेश प्रसाद तनय हीरालाल चतुर्वेदी उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम पहरखा तहसील मनगवां जिला रीवा म.प्र. ----- निगरानी कर्ता/आवेदक

R. 2881-II/12

विरुद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा पटवारी हल्का पहरखा ------ अनावेदक ।

अधिवक्ता श्री श्रीनिवास तिवारी द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि० 13.08.2012

13.8.12

27.8.12

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील-मनगवां जिला रीवा म.प्र., प्र.क्र.02अ5/11. निर्णय दिनांक 27-2-12 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. सन् 1959 ई. ।

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- यह कि प्रार्थी/आवेदक/निगरानी कर्ता भूमि सर्वे नं. 155/3 रकवा 0-125 है. स्थित ग्राम पहरखा पटवारी हल्का पहरखा तहसील मनगवां के संबंध में नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें दि.27-2-12 को निगरानी कर्ता की अनुपस्थिति में आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी अत्यधिक विलम्ब से हुई । जानकारी होने पर तहसील कार्यालय में नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, तो तहसीलदार, मनगवां द्वारा कहा गया कि प्रकरण रिकार्ड रूम रीवा भेज दिया गया, रीवा पहुँचकर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया , जो दिनांक 7-9-12 को प्राप्त हुई,इसके बाद सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0– R288/II/2012 जिला–रीवा

अवधेश प्रसाद चतुर्वेदी / म0प्र0 राज्य द्वारा पटवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री श्रीनिवास सिंह उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील-मनगवां, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 02/अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27-02-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-08-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

14/2/19

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-04-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर रीवा के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
14/2/19